(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्र0क0 4–1/356/1994 – विरूद्ध आदेश दिनॉक 31–1–1994 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 261/1991–92 अपील

तोताराम पुत्र रानसनेही
ग्राम लावन तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
विरूद्ध ——आवेदक

केदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह
ग्राम अमृतपुर तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश
——अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 8 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0 क0 261/1991–92 अपील में पारित दिनांक 31 जनवरी, 1994 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अमृतपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 133/2 रकबा 0.162 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रमाशॅकर के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है। अनावेदक ने तहसील भिण्ड में आवेदन देकर मांग की कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा है किन्तु

शासकीय अभिलेख में कब्जा दर्ज नही है इसलिये कब्जा दर्ज किया जाय। नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड ने प्रकरण कमांक 9/90—91 अ—6 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 12—8—91 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण कमांक 70/90—91 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—8—1992 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील की गई। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 261/1991—92 अपील में पारित दि. 31 जनवरी, 1994 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुन तथा अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 261/1991—92 अपील का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार—बार सूचना पत्र जारी किये गये, किन्तु वह अनुपस्थित है एंव उसके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि नायव तहसीलदार ने विज्ञप्ति का प्रकाशन किया है परन्तु विज्ञप्ति का प्रकाशन सही नहीं हुआ वैसे भी रिकार्डेड भूमिस्वामी का विज्ञप्ति से सम्बन्ध नहीं रहता , अपितु उसे व्यक्तिगत सूचना जारी की जाती है परन्तु नायव तहसीलदार ने रिकार्डेड भूमिस्वामी को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी एंव एकपक्षीय आदेश पारित किया है दोनों अपीलीय न्यायालयों ने यह विचार नहीं किया कि किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य का बेजा कब्जा नहीं लिखा जाता क्योंकि भूमिस्वामी के अधिकार संहिता की धारा 250 से रक्षित रहते हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार किया जाना है कि क्या किसी भूमिस्वामी

की भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा शासकीय अभिलेख में अंकित कराया जा सकता है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)— धारा 115, 116 के अंतर्गत मात्र अशुद्व प्रविष्टियों को ठीक किया जा सकता — शासकीय अभिलेख में किसी प्रकार नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। (मोहम्मद विरूद्व मोहन 2000 रा0नि0 177 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)— धारा—116 — कब्जे के सम्बन्ध में नवीन प्रविष्टि के लिये किया गया दावा — ऐसा दावा ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन योग्य नहीं है (परमाल सिंह विरूद्व महिला बसंती देवी 1996 रा0नि0 324 से अनुसरित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड का प्रकरण कमांक 9/90—91 अ—6 में पारित आदेश दिनॉक 12—8—91 विधि मे दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है इसके वाद भी अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण कमांक 70/90—91 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—8—1992 में तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 261/1991—92 अपील में पारित दि. 31 जनवरी, 1994 में उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 261/1991—92 अपील में पारित दि0 31 जनवरी, 1994, अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 70/90—91 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—8—1992 तथा नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 9/90—91 अ—6 में पारित आदेश दिनॉक 12—8—91 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर